कमाते हैं तभी उन्हें दो वक्त का खाना मिलता है ऐसे लोग हैं।

ऐसे लोग हैं जिन्हें सस्ते दामों में अनाज मिलना जरूरी है। वे राशन की दुकानों पर जाते हैं। हमारी इस प्रणाली के मुताबिक अनाज लेने के लिए राशन की दुकानों पर जाते हैं, लेकिन उनको जितनी मात्रा में निर्धारित अनाज है वह नहीं मिलता है। केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मात्रा में अनाज नहीं दिया जाता है जिसके कारण हम लोगों को पूरा अनाज नहीं दे पाते हैं।

सभापति महोदय, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि देश के गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने की जो योजना है और जिस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत यह अनाज दिया जाता है, यह समाज के लिए उपयोगी और एक बहुत आवश्यक अंग है। इसे सही ढंग से दिया जाना बहुत जरूरी है। हमें यह देखना जरूरी है कि हमारी इस व्यवस्था के अंतर्गत जिन गरीब लोगों को हम अनाज देने जा रहे हैं या अब जो आपने यह नया टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ सिस्टम बनाया है, इसके अंतर्गत हम लोगों को अनाज दे पाते हैं कि नहीं। जिन लोगों के लिए यह योजना है उनके पास अनाज पहुंचता है या नहीं, यह देखा जाना बहुत जरूरी है।

सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि जितनी भी गरीबों के लिए इस प्रकार की योजनाएं हैं उनमें टारगैट तो पूरा हो जाता है, लेकिन जिन गरीबों को लाभ देने के लिए ये योजनाएं बनाई गई हैं, उनको इनका लाभ नहीं मिलता है। आप किसी भी राज्य से इसका ब्यौरा मंगा लें, सभी राज्यों में टारगैट पूरा होता है, लेकिन किसी भी राज्य में जिन गरीबों के लिए ये योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। उपभोक्ता को यह लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए केन्द्र की यह जिम्मेदारी है कि जिनके लिए यह स्कीम बनाई गई है उनको लाभ मिलता है या नहीं इसकी जांच करनी चाहिए। यह एक अच्छी योजना है जो केन्द्र सरकार की ओर से दी गई है। मैं इस योजना की सराहना करता हूं।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : सभापति महोदय, क्या मैं एक क्षण के लिए हस्तक्षेप कर सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदया, मैंने अपने माननीय मित्र की बातों को सुना है और उनकी बातों से सहमत हूं क्योंकि सुधारु सार्वजनिक प्रणाली का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे समाज के बहुत गरीब लोगों की सहायता की जा सकती है और उनकी समस्याएं भी दूर की जा सकती हैं और यही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रधान उद्देश्य है। समय के साथ-साथ हमने यह अनुभव किया है कि उत्पादकों को दी जाने वाली धनराशि में अभिवृद्धि मूल्यों के बढ़ने का प्रधान कारण है। उदाहरणार्थ, प्रति वर्ष सरकार ने कृषक समुदाय को अधिक मूल्य दिया और अब भी दे रही है। मुझे इस संबंध में कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे विचार से यह हमें करना था। सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में कृषक समुदाय का बहुमत है और उनके द्वारा किये गये परिश्रम का मूल्य उन्हें मिलना चाहिए स्वाभाविक रूप से इससे सरकारी क्रम में भी अभिवृद्धि होगी।

अब सरकार—मेरी सरकार के नहीं, पिछली सरकार के, जिसका मैं एक सदस्य था, के समक्ष प्रश्न आता है कि गरीब वर्ग की समस्याओं को कैसे दूर करें। हम सदैव इस सच्चाई के प्रति सतर्क थे कि यह उन लोगों के लिए असहनीय बोझ है जो गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। मेरे माननीय मित्र ने सही बताया है कि जो झुग्गी-झोपड़ियों या वे लोग सड़क के किनारे रहते हैं, जो शहरी गरीबों के एक अंग हैं बहुत अधिक समस्याओं का सामना करते हैं। ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमें सदैव ध्यान रखना है। इसलिए यह नयी सार्वजनिक वितरण प्रणाली आरम्भ हुई। विचार यह था कि कम से कम कुछ आवश्यकताएं कम मूल्य पर उपलब्ध कराई जायें। इसलिए प्रति परिवार दस किलो चावल आधे मूल्य पर दिये गये। इसका अर्थ था कि लगभग 9,000 करोड़ रुपए वार्षिक वित्तीय भार पड़ना था। योजना का क्रियान्वयन हो गया है। यह वितरित किया जा रहा है।

अब धीरे-धीरे जैसे समय व्यतीत हो रहा है—मैं विभिन्न राज्यों, विशेषकर पिछड़े राज्य और विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और उनके मुख्य मंत्रियों सहित मैं विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों से बात-चीत कर रहा हूं—इससे पता चला है कि प्रणाली में कई खामियां हैं। इसमें पहली खामी है कि प्रत्येक परिवार को 10 किलोग्राम चावल आधे मूल्य पर दिया जाता है लेकिन कोई भी परिवार केवल दस किलोग्राम चावल से जीवन-यापन नहीं कर सकता है। इसलिए यह मानना कि चार या पांच लोगों का परिवार प्रतिमाह दस किलोग्राम चावल से अपना जीवन यापन कर लेगा तो बहुत बड़ी गलती होगी। यह पर्याप्त नहीं है। यह एक सही आपत्ति है। शेष की पूर्ति के लिए वह बाजार मूल्य पर खरीदते हैं जो कि अधिक है। इसलिए जो सहायता उन्हें दी जाती है वह बहुत सीमित होती है। राहत तो दी जा रही है लेकिन इतनी नही है जितनी की आवश्यकता है। सच्चाइयों पर ध्यान देते हुए कि ये बातें हमारी ध्यान में आयी हैं। हमने आपस में चर्चा की और एक नयी योजना का श्रीगणेश करने के लिए मुख्य मंत्रियों की एक बैठक शीघ्र ही करने जा रहे हैं। इस बीच हम दूसरे विकल्प ढूंढने का प्रयास करेंगे। माननीय मित्र इस बात से सहमत होंगे कि हम राज सहायता एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं इसका यह कारण नहीं है कि राज सहायता की आवश्यकता नहीं है बल्कि इसका कारण है कि इससे वित्तीय बोझ बढ़ता है और हमें यह निश्चित करना है कि इसको कैसे वहन करें।

मैं पहले ही कह चुका हूं कि 9,000 करोड़ की राजसहायता पहले ही दी जा रही है। शायद आंशिक रूप से कुछ और भी बढ़ाया जा सकता है। शायद हम इसको कुछ अलग कर सकते हैं।

इसलिए, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए मंत्रालय ने इसका विकल्प तलाशने का निर्देश दिया है और निकट भविष्य में मुख्य मंत्रियों से मिलूंगा और इसका समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं अपने आसन पर बैठूं मैं एक बार फिर वही बातें दुहराता हूं जो मैंने आरम्भ में कहा था कि

[श्री इन्द्र कुमार गुजराल]

समाज के पीड़ित वर्ग के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। हम, विशेषकर स्वतंत्रता के पचास वर्ष में कुछ करना चाहते हैं। यह बहुत खेद और शर्म की बात है कि इस देश में अभी भी भारी संख्या में लोग गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं। इस बात से मुझे कोई संतोष नहीं है कि उनकी संख्या में कमी या प्रतिशत में कमी आयी है। गांधी जी के शब्दों में "जब तक भी आंख में आंसू होगा, देश अपने को स्वतंत्र नहीं कह सकता।"

इसलिए मैं इससे सहमत हूं। मैं सोचता हूं कि आप या आपके पीछे बैठे श्री जार्ज फर्नांडीज और अन्य मित्र जो यहां उपस्थित हैं सभी इस प्रकार की भावना से अभिभूत हैं। मेरा कहना है कि हमने कुछ लोगों के लिए, जो धनवान हैं, स्वतंत्रता संघर्ष नहीं किया था। हम चाहते हैं कि गरीबों को उनका उचित हिस्सा मिले।

आंशिक रूप से इसे पूरा कर लिया गया है लेकिन मैं सोचता हूं अभी भी बहुत कुछ करना है और मैं सोचता हूं कि यह ऐसा, चाहे हम इस ओर रहे या उस ओर, होने का कुछ कारण है और इसलिए हम इससे सहमत हैं। यह एक दल का प्रश्न नहीं है ...*(व्यवधान)* यह एक साधारण नीति का प्रश्न है।

[हिन्दी]

वैद्य दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : आप कोई ठोस योजना बनाइये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजरात : इसलिए मैं सोचता हूं कि सच्चाई पर ध्यान देना महत्वपूर्ण कार्य है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया उन्हें परेशान न करें।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : इसलिए यह किसी दल का प्रश्न नहीं है। ...*(व्यवधान)* मुख्य बात यह है कि हम सब अपने को इस समस्या में शामिल करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि हमें जिस समय विकल्प मिल जाएगा हम सदन में आएंगे आप सभी के साथ, नेताओं की बैठक और सभा दोनों में ही चर्चा करेंगे और उस योजना का श्रीगणेश करेंगे जो गरीबी के लिए अधिक लाभदायक होगी।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल (सदर-दिल्ली) : मेरी इसमें एक ही प्रार्थना थी कि जब आप पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में सबसिडी देते हैं तो जरूरी नहीं है कि वह सबसिडी उस सैक्शन को भी दी जाये जिसकी उसको जरूरत नहीं है।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी (बीकानेर) : सभापति महोदय, मुझे अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल श्री बल्लभ पाणिग्रही जी ने पी॰ डी॰ एस॰ के संबंध में नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा करने हेतु प्रस्ताव रखा था और वह चर्चा लगातार चल रही है। अलग-अलग क्षेत्र के सांसद, अलग-अलग स्टेट के सांसद अपनी-अपनी बात रख रहे हैं। बीच में ही आज प्रधानमंत्री जी ने इंटरविन किया और जो शंकायें हम लोगों के दिमाग में थी उन पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी सहमति जाहिर की है। निश्चित रूप से यह बहुत खुशी की बात है। हम लोग भी इस बात को बार-बार उल्लिखित कर रहे हैं और कल से भी सदन में इस पर चर्चा चल रही है कि जो टी॰ पी॰ डी॰ एस॰ योजना लागू की गयी है उसमें 10 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार को आबंटित किया जा रहा है, वह वास्तव में बहुत कम है।

पूर्व की जो पी॰ डी॰ एस॰ स्कीम थी जिसमें 30 किलो गेहूं प्रति परिवार को आबंटित किया जा रहा था उसके पश्चात् इस योजना को लागू करने से निश्चित रूप से गरीब परिवार को भी लाभ नहीं हुआ। हो सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री देवेगौड़ा जी के दिमाग में उन्हें लाभ पहुंचाने की योजना रही हो लेकिन जिस प्रकार से यह योजना लागू हुई कि प्रति परिवार को 10 किलोग्राम गेहूं तीन रुपये किलो से आबंटित किया जायेगा, खाद्य मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। इस योजना को शुरू करने से पहले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में इस संबंध में पूर्व प्रधानमंत्री जी ने भी चर्चा की थी। उसके बाद खाद्य मंत्रियों के सम्मेलन में भी इसकी चर्चा हुई और तत्पश्चात् प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से इस योजना की घोषणा की। योजना के उद्देश्य अच्छे थे। सरकार के दिमाग में यह बात भी थी कि गरीब को इसका लाभ मिले। अंतिम छोर पर बैठने वाला, झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाला, अंतिम धानी में बैठने वाले व्यक्ति को इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इस योजना का समुचित लाभ उन्हें नहीं मिल पाया।

वास्तव में एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है कि गरीब आदमी के घर में चाहे वह कोई आदमी हो, हम यह मानकर चलते हैं कि चार आदमियों का एक परिवार तो कम से कम होगा और ज्यादा से ज्यादा और भी मानकर चलें, परिवार नियोजन की योजना को अगर मानें तो कम से कम सात आदमियों का एक परिवार होगा। सात आदमियों के एक परिवार के भरण-पोषण करने हेतु पर्याप्त नहीं है। काफी लोग 30 किलो कह रहे हैं लेकिन मेरे विचार से और हमारी स्टेट ने भी इस संबंध में मांग की है कि 40 किलो की उसे आवश्यकता होगी।

अपराह्न 3.00 बजे

यदि उसे 40 किलो की आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति करने के लिए 10 किलो अनाज सरकार पी॰ डी॰ एस॰ योजना से देगी लेकिन बाकी का 30 किलो अनाज उसे 7.60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लेना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। यदि किसी परिवार में 4 से 7 सदस्य हैं तो उन्हें इस मद में करीबन 258 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यदि हम पूर्व की योजना का अध्ययन करें तो पूर्व में उनको जो 30 किलो अनाज मिल रहा था, उससे उन्हें केवल मात्र 153 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। इस तरह से उन्हें करीबन 100 रुपये अतिरिक्त इस मद में खर्च करने पड़ेंगे तब जाकर उनका भरण-पोषण हो सकेगा।